राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ–8(1)ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/2010/ जयपुर, दिनांक 30 नवम्बर, 2011

–:: आदेश ::–

ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2010 के अनुच्छेद सं. 2.11 में उल्लेखित है कि " यही नहीं अमुख निर्माण सामग्री क्रय करते समय अगर वास्तविक दर तकनीकी स्वीकृति में उल्लेखित उस अमुख सामग्री की दर से 10 प्रतिशत तक अधिक है तो जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति के अनुमोदन पश्चात् बढी हुई राशि भी मूल्यांकन राशि में सम्मिलित की जायेगी।"

उक्त को विलोपित करते हुए अनुच्छेद सं. 2.11 एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

2.11 मूल्यांकन राशि :– (Valuation Amount)

निर्माण कार्य के लिये तकनीकी स्वीकृति में उल्लेखित कार्य मदों पर ग्रामीण कार्य निर्देशिका की व्यवस्था अनुसार दरों पर प्राधिकृत सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका में गणना की गई राशि उस कार्य की मूल्यांकन राशि होगी। निर्माण सामग्री की सक्षम स्तर से अनुमोदित निविदा दर पश्चात् बढी/घटी हुई राशि भी मूल्यांकन राशि में सम्मिलित की जायेगी।

28/11/11
(तन्मय कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मान0 मन्त्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग/वन विभाग, राज0 जयपुर।
5. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, ई.जी.एस., राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान– जयपुर।
9. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान को भेजकर लेख है कि सभी सम्बन्धितों को आपके स्तर से प्रति भिजवाने का श्रम करावें।
11. समस्त परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मुख्यालय)
12. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, राजस्थान।

30/11/11
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)